कार्यालय नगर परिषद् मसौढ़ी (पटना)।

पत्रांक 458

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् मसौढ़ी (पटना)।

सेवा में,

अंकेक्षण पदाधिकारी,
शहरी स्थानीय लेखा परीक्षा,
प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना।

मसौढ़ी,दिनांक 01/07/19

विषयः– **नगर परिषद् मसौढ़ी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या– 244/2008–09 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंग– **सं0 एल0 ए0/एस0 एस0–/श0 स्था0 नि0/14480/2214 दिनांक–11.02.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एंव प्रासंगिक पत्र के संदर्भ मे सादर सूचित करना है कि नगर परिषद् मसौढ़ी का वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2007–08 का अंकेक्षण किया गया था जिसका प्रतिवेदन संख्या–244/2008–09 है, कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का प्रतिउत्तर साक्ष्य सहित तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन को सशक्त सथायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2019 का प्रस्ताव संख्या–7 से पारित है एंव उक्त प्रस्ताव की सम्पुष्टि नगर परिषद् मसौढ़ी की बोर्ड की बैठक दिनांक 19.06.2019 का प्रस्ताव संख्या– 1 में सर्वसम्मति से सम्पुष्ट/पारित किया गया है, उक्त दोनों बैठकों की कार्यवाही की छायाप्रति सुलभ हेतु संलग्न किया जा रहा है।

अतः उक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या– 244/2008–09 के सभी कंडिकाओं को निरस्त करने की कृपा की जाये।

अनु0 117 पन्ने।

विश्वासभाजन

ह0–
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् मसौढ़ी (पटना)।

ज्ञापांक 458 दिनांक 01/7/19

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

01/07/19

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् मसौढ़ी (पटना)।

कार्यालय, नगर परिषद, मसौढ़ी (पटना)।

Email ID- npmasaurhi@gmail.Com, website: nagarseva.bihar.gov.in/masaurhi

अंकेक्षण/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या–244/2008–09 अवधि/वर्ष–2004–05 से 2007–08 (कुल कंडिकाओं की संख्या–37) का आपति अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0	कंडिका संख्या	आपति	अनुपालन प्रतिवेदन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	1	लेखा परीक्षा का अवधि	दिनांक 2 मई, 2008 से 7 जून 2008 तक।	
2	2	प्रशासन	अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तावना में समर्पित है अलग से (नगर परिषद, मसौढ़ी का) दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।	
3	3	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन	अनुपालन किया गया है जिसमें से आंशिक कंडिका अनुपालनार्थ वापस किया गया है।	
4	4	सरकार से प्राप्त अनुदान/ऋण का विवरणी	वर्ष 2004–05 से 2007–08 में सरकार से विभिन्न मदो में प्राप्त अनुदान/ऋण विवरणी प्रस्ताव में अंकित है जिसे मिलान किया गया एवं सही पाया गया दर्शायें गये शेष राशि का व्यय हो चुका है एवं अनावश्यक शीर्ष की राशि सरकार को वापस कर दिया गया है। प्रमाण की प्रति क्रमांक...01...से 03......पर अंकित है।	
5	5	अव्यवहरीत राशि	सुझात्मक एवं अनुपालनार्थ है। 5 (पाँच) बैंकों का खाता बन्द कर शेष राशि संबंधित विभाग/सरकार को वापस कर दिया गया है। छायाप्रति क्रमांक...4.....से 07.....पर है।	
6	6	रोकड़ वही का संधारण में त्रूटी	सुझात्मक एवं अनुपालनार्थ है। इस कंडिका में i से iv तक सुझाये गये निर्देश का अनुपालन किया जा गया है। अलग–अलग सहायक रोकड़ वही शीर्ष के अनुसार संधारित किया जा चुका है। जिसकी छायाप्रति क्रमांक....8.......पर है।	
7	7	मुख्य अंकेक्षण कंडिका सुझात्मक एवं अनुपालनार्थ है।	आगे कंडिकावार विस्तृत रूप में अनुपालन किया गया है। क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 एवं 24 किए गय अनुपालन को देखा जा सकता है।	
8	8	त्रैमासिक/आन्तरिक अंकेक्षण	विभागीय आदेशानुसार समय–समय पर त्रैमासिक अंकेक्षण किया जा रहा है अंकेक्षण प्रतिवेदन के छायाप्रति क्रमांक....9.....से ....17..पर है।	
9	9	अंकेक्षण दल के समय प्रस्तुत/अप्रस्तुत सामग्री।	अंकेक्षण दल के द्वारा तैयार सूची परिशिष्ट–I जो दिखाया गया एवं परिशिष्ट–II सामग्री सूची जो नहीं था तैयार किया गया है एवं अंकेक्षण को दिखा दिया गया सूची छायाप्रति क्रमांक...18...से ...19....पर है।	
10	10	सराकार से प्राप्त अनुदान	वर्ष 2004–05 से 2007–08 में प्राप्त अनुदान की सूची दर्शाया गया है। जो सहीं है। अलग से टिप्पणी की आवश्यकता नही है।	
11	11	अनुदान 11वाँ एवं 12वाँ वित्त आयोग से प्राप्त	सुझात्मक प्रतिवेदन में 11 एवं 12 वॉ वित आयोग शीर्ष का अनुदान/आवंटन का मिलान किया गया है जो सही है अलग से किसी प्रकार का टिप्पणी की आवश्यकता नही है।	

12	12	अनुदान प्रशासनिका भवन का जे0सी0बी0 क्रय में विचलन	जे0सी0बी मशीन क्रय मध्य बिहार ग्रामीण बैंक नूरा मसौढ़ी से ऋण लेकर किया गया है प्रशासनिक भवन की राशि खाता संख्या–2159 में जमा से 5,00,0000/– (पाँच लाख) रूपये लिया गया है कंडिका–8 पर स्पष्ट किया गया है। जिसे समायोजन कर लिया गया है, कैश बुक की छायाप्रति क्रमांक 20 से 22 पर है।	
13	13	व्यवसायिक अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं एवं अन्य प्रकार का टैक्स वसुली नग्न्य।	शहरी क्षेत्र मसौढ़ी में साईकिल, टमटम, ठेला, रिक्सा, बैलगाड़ी का अनुज्ञप्ति/निबंधन शुल्क बन्द हो गया है। खतरनाक एवं खाद्वयान बिक्री अधिनियम के अनुसार लाईसेन्स शुल्क वसूली किया जा रहा है। रसीद कि छायाप्रति क्रमांक 23 से 25 पर है।	
14	14	भवन कर का पुनिरिक्षण नहीं	मकान कर का पुनरीक्षण किया गया है आदेश कार्यालय पत्रांक 93 दिनांक–13.07.2000 एवं पत्रांक 1160 दिनांक 13.12.2013 की छायाप्रति क्रमांक 26 से 27 पर है।	
15	15	मकान कर रसीद संख्या 4901 से 5000 प्रस्तुत/वसुली गयी राशि जमा नहीं।	टिप्पणी में अंकित रसीद संख्या–4901 से 4937 तक जमा है शेष रसीद अखिलेश कुमार सिंह टैक्स दारोगा के नाम पर है श्री अखिलेश कुमार निगराणी काण्ड सं0 55/07 के अभियुक्त है रसीद चार्ज सीट में दर्ज है जो निगरानी के अधिन है अभी श्री अखिलेश कुमार सिंह सेवा से बर्खास्त (सेवा समाप्त नगर परिषद द्वारा) है मुकदमा संख्या–8506/2014 मा0 उच्च न्यायालय पटना में लम्बित चल रहा है। छायाप्रति क्रमांक 28 से 30 पर है।	
16	16	आंकेक्षण के समय जमा किया गया राशि	वसुली रसीद से किया गया राशि 103947/–रूपये जमा किया गया है। प्रस्तावना में विवरणी अंकित है। भविष्य में ससमय राशि जमा होते रहे ख्याल रखा जा रहा है। क्रमांक 31	
17	17	वाहन से वसुली गई कूपन की राशि 175 रूपये जमा नहीं।	शहरी क्षेत्रों में मणिचक सूर्य मंदिर धार्मिक स्थल पर छठ पर्व के अवसर पर मेला लगता है समिति के निर्णयानुसार पूजा स्थल पर ठहराव वर्जित था। वाहन को गॉधी मैदान मसौढ़ी में लगया गया जिससे पार्किग शुल्क के रूप में कुपन से वसुली गई राशि मिसलेनियस रसीद /विविध/नाजीर रसीद संख्या 365 दिनांक 09.05.2008 को जमा है जिसे चलान संख्या–08/2008–09 में जोड़कर जमा किया गया है। रसीद की छायाप्रति क्रमांक 32 ~~से~~ — पर है।	
18	18	सेन्ट्रल कॉपरेशन बैंक, मसौढ़ी में जमा राशि का सूद नहीं।	नगर कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक मसौढ़ी बचत खाता संख्या–84 में मात्र 1585.20 रूपये शेष था। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आय–व्यय इस खाता में नहीं हुआ। अब खाता बन्द कर दिया गया एवं शेष राशि बैंक द्वारा कटौती कर लिया गया है। वर्तमान में खाता बंद है। विवरणी क्रमांक 33 पर।	
19	19	मकान कर का माँग एवं वसुली पंजी संधारण नहीं।	शहरी क्षेत्र मसौढ़ी में कुल 26 वार्ड है प्रत्येक वार्ड का मकान कर पंजी एवं वसुली पंजी के अनुसार कुल मॉगें एवं कुल वसुली का प्रतिवेदन टैक्स दारोगा द्वारा दिया गया है जो छायाप्रति क्रमांक 34 से 35 पर है।	

<table>
<tr><td>20</td><td>20</td><td>स्वास्थ एवं शिक्षा शेष जमा नहीं।</td><td>नगर परिषद मसौढ़ी में काम कर वसूली में शिक्षा एवं स्वास्थ्य शेष सम्मिलित है परन्तु वसूली गयी राशि से स्वास्थ्य एवं शिक्षा शेष का भुगतान संबंधित विभाग को नही किया गया है। निकाय का वितीय स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण जमा नहीं किया जा सका। गणणा उपरान्त यथा शीघ्र जमा कर दिया जायेगा।</td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>21</td><td>मकान कर की वसुली नहीं मो0 362737/– रूपये।</td><td>अंकेक्षण टिप्पणी i से iv तक सुझाये गये आपति का अनुपालन किया जा रहा है। वसुली में वृद्धि किया गया है। i वितीय वर्ष 2004–05 से 2007–08 का बकाया राशि वसुली किया गया जमा का चलान की छायाप्रति क्रमांक 36 से 37 पर संलग्न है। ii बकायेदार को नोटिस किया गया है नोटिस की छायाप्रति क्रमांक 38 से 40 पर है। iii नोटिस दफा निर्गत छायाप्रति क्रमांक 41 से 47 पर है। iv नक्शा पारित किया जा रहा है। शुल्क जमा छायाप्रति क्रमांक 48 से 52 पर है।</td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>22</td><td>सरकारी भवन पर मकान कर राशि वसुली का प्रयास नहीं</td><td>सुझाये गये आपति का अनुपालन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र मसौढ़ी में भवन पर लगे कर की वसुली की जा रही है। कुल 562000/– रूपये की वसुली हुआ है। छायाप्रति क्रमांक 53 पर है।</td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td>23</td><td>भवन निर्माण के पूर्व नक्सा पारित नहीं</td><td>सुझात्मक प्रयास जारी है नक्शा पारित कराया जा रहा है। छायाप्रति क्रमांक 54 से 56 पर है।</td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td>24</td><td>शौचालय का बन्दोवस्ती नहीं</td><td>शुलभ शौचालय रेलवे गुमटी से पूरब रेलवे की जमीन में है जिसे रेलवे द्वारा समाग्री रख कर अतिक्रमिति कर लिया गया है एवं रेलवे पुलिस बल द्वारा कई बार खाली करा दिया गया है ऐसी स्थिति में 2004–05 से 2006–07 तक बंदोवस्ती नही हुआ है। राशि वसुली बाधित रहा है। पुनः वर्ष 2007–08 में बन्दोबस्ती हुआ परन्तु पुनः रेलवे द्वारा बाधित रहा संवेदक श्री गुरू चरण प्रसाद को राशि 30800/– जमा करने का आदेश दिया है। वर्तमान में भी शौचालय का बंदोवस्ती नही हो रहा है। क्रमांक 57-58.</td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td>25</td><td>शौचालय बन्दोवस्ती का राशि जमा नहीं</td><td>
<table>
<tr><td>वितीय वर्ष</td><td>डाक राशि</td><td>जमा</td><td>शेष</td></tr>
<tr><td>2000–01</td><td>25550</td><td>18045</td><td>7505</td></tr>
<tr><td>2001–02</td><td>18045</td><td>8000</td><td>10045</td></tr>
<tr><td>2002–03</td><td>20075</td><td>1000</td><td>19075</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>63670</td><td>27045</td><td>36625</td></tr>
</table>
कुल 36,625/– रूपये जमा नहीं किया गया अंकेक्षण आप्ति में दंशाया गया है कि बकाये राशि नगर निकाय के प्रशासन, कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष से वसुलनीय बताया गया है। स्थिति यथावत है।</td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td>26</td><td>बस पड़ाव बन्दोवस्ती में राशि बस जमा</td><td>
<table>
<tr><td>संवेदक का नाम</td><td>कार्य</td><td>वित्तीय वर्ष</td><td>डाक राशि</td><td>जमा</td><td>कम जमा</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">संजय कुमार पिता दुखित यादव, गंगाचक मलिकाना, मसौढी।</td><td>रेलवे गुमटी से पुरब बस पड़ाव</td><td>2000–01</td><td>294000</td><td>247000</td><td>47000</td><td></td></tr>
<tr><td>पाली नौबतपुर मोड़ बस पड़ाव</td><td>2000–01</td><td>72900</td><td>71000</td><td>19000</td><td></td></tr>
<tr><td>रेलवे गुमटी से पुरब बस पड़ाव</td><td>2001–02</td><td>301500</td><td>238372</td><td>63128</td><td></td></tr>
<tr><td>पाली नौबतपुर मोड़ बस पड़ाव</td><td>2001–02</td><td>73600</td><td>68721</td><td>4879</td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>अर्जुन प्रसाद पिता छेदामी यादव, गंगाचक मलिकाना, मसौढ़ी।</td><td>रेलवे गुमटी से पुरब बस पड़ाव</td><td>2002–03</td><td>310251</td><td>155125</td><td>155126</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>पाली नौबतपुर मोड़ बस पड़ाव</td><td>2002–03</td><td>77500</td><td>38500</td><td>3900</td><td></td></tr>
</table>
अंकेक्षण आप्ति में निर्देश दिया गया है कि बकाये राशि 194126 रूपये प्रशासक कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद से वसुलनीय है। स्थिति यथावत है।</td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td>27</td><td>बस पड़ाव का लोक सभा चुनाव, 2004 में विभागीय वसुली राशि जमा नहीं/कम जमा</td><td>लोक सभा चुनाव, 2004 में आर्दश आचार संहिता लागू हो जाने के कारण सैरातों का बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2004–05 का नहीं हो सका दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से 30.06.2004 तक विभागीय वसुली श्री अखिलश कुमार सिंह, टैक्स दारोगा, नगर परिषद, मसौढ़ी द्वारा किया गया।
अंकेक्षण टिप्पणी के अनुसार वसुली लक्ष्य उक्त अवधि के लिए निम्नवत् निर्धारित किया गया।
<table>
<tr><th>कार्य</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>अंकेक्षण दल द्वारा निर्धारित राशि</th><th>निर्धारित राशि</th><th>कम जमा</th></tr>
<tr><td>रेलवे गुमटी से पुरब बस पड़ाव</td><td>2003–04</td><td>372627</td><td>79000</td><td>453150</td></tr>
<tr><td>पाली नौबतपुर मोड़ बस पड़ाव</td><td>2003–04</td><td>90272</td><td>13000</td><td>107332</td></tr>
</table>
मो0 560482/– तीन माह के बराबर प्रति माह वसुलनीय राशि निर्धारित 46706.83 × 90 days = 140120.00 जाँचोपरान्त शेष जमा का निर्देश दिया गया है। श्री अखिलेश कुमार सिंह को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। स्थिति विवरणी कंडिका 15 पर र्दशाया गया है। दृष्ठय।</td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td>28</td><td>दुकान का किराया कम जमा</td><td>(a) दुकान पंजी मॉग एवं वसुली संधारित किया गया है छायाप्रति क्रमांक 59 पर देखा जा सकता है। रेलवे गुमटी से पुरब बस पड़ाव में निर्मित दुकान की सूची क्रमांक ..60....... पर है।
(b) रजिष्ट्री कार्यालय के पास सभी दुकार रोड चौड़ीकरण के लिए P.W.D. के द्वारा तोड़ दिया गया है। दुकान संख्या–2 का बकाया किराया जमानत राशि में समायोजन 5000/– रूपये के पश्चात शेष रूपये 4992/– रूपये वसुली नही किया जा सका दुकान में सर्टर किरायेदार द्वारा लगाया गया था जो जप्त कर लिया गया इसी कारण राशि 4992/– रूपये जमा नही हो सका वही वसुली हेतु प्रशासन पदाधिकारी को जिम्मेवार ठहराया गया है।</td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td>29</td><td>बिक्रीकर/रॉयलटी जमा नहीं</td><td>योजना से कटौती VAT एवं Royality राशि वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक 347170 (144701+202469) जमा नही आयकर विभाग पटना द्वारा कार्यालय नगर परिषद मसौढ़ी का निरीक्षण दिनांक.26.7.17. को किया गया एवं बताये गये आयकर राशि अद्यतन जोड़कर जमा कर दिया गया है। छायाप्रति क्रमांक ....61... पर है। एवं VAT की राशि भी ससमय जमा किया जा रहा है। छायाप्रति क्रमांक 62-64.. पर है।</td><td></td></tr>
</table>

30	30	जे0सी0बी0 मशीन क्रय में योजना राशि का विचलन एवं मशीन का बीमा एवं निबंधन नहीं।	i जे0सी0बी0 मशीन का परिवहन विभाग से निबंधित नही ii इन्सुरेन्स नहीं हुआ है मशीन जीर्ण–शीर्ण अवस्था वर्तमान में खराब/चलने लायक नहीं है। मशीन मध्य बिहार ग्रामीण बैंक शाखा नूरा से ऋण लेकर (10,00000/–) लेकर क्रय किया गया था इस बैंक में कार्यपालक पदाधिकारी के नाम खाता संख्या–2159 में प्रशासनिक भवन निर्माण का राशि था जिस में से 500000/–रूपये जे0सी0बी0 क्रय में विचलन हो गया था जिसका समायोजना 11,12 वॉ वित से प्रशासनिक भवन शीष में जमा कर दिया गया है। कैश बुक प्रशासनिक भवन एवं 11,12 वॉ वित का कैश बुक की छायाप्रति क्रमांक 65 से 67 पर देखा जा सकता है।	
31	31	योजना गली–नाली निर्माण में अनियमितता	योजना संख्या–32/2006–07 पक्की नाली एवं ईंट सोलिंग (i) श्यामनन्दन सिंह, अभिकर्त्ता से वसुलनीय **Roylity-28703.77** **Sell tax – 27174.22** कुल–55878/– रूपये कार्यालय वसूली की कार्रवाई की जा रही है। (ii) योजना संख्या–03/2003–04 पी0सी0सी0 रोड (एन0एस0डी0पी0) अभिकर्ता सकलदीप चौधरी, सहायक प्राक्कलन में अनियमित राशि की वसुली कार्यपालक अभियंता से मो0 6712.54 कनिय अभियंता से मो0 10707.98 एजेन्सी से वसुलनिय मो0 60181.28 रूपये (iii) अभिकर्त्ता श्री अखिलेश कुमार सिंह, टैक्स दारोगा, से योजना संख्या–06/2003–04 (11 वॉ वित्त) पी0सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण प्राक्कलन से अनियमित राशि कनीय अभियंता से वसुलीय–92372.42 कनीय अभियंता से वसुलीय–139640.00 अभिकर्त्ता से वसुलनीय **Roylity-87183.52** **Sell tax – 25191.81** मो0 112375.33 रूपये अभिकर्त्ता निगरानी कांड में अभियुक्त है। सेवा से मुक्त कर दिया गया मुकदामा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है तत्पश्चात कार्रवाई की जायेगी। (iv) योजना संख्या–07/2003–14 योजना पी0सी0सी0 एवं नाली अभिकर्त्ता श्री श्यामनन्दन सिंह, प्रधान सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता से प्राक्कलन में अनियमित राशि 13301/– अभिकर्त्ता से वसुलनीय राशि 19764.17 कार्यालय वसूली की कार्रवाई की जा रही है। (v) योजना संख्या–13/2005–06 अभिकर्त्ता श्री अखिलेश कुमार सिंह, टैक्स दारोगा, नगर परिषद, मसौढ़ी योजना पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>प्राक्कलन में अनियमित राशि सहायक अभियंता से वसुलनिय 187779/- प्राक्कलन में अनियमित राशि कनीय अभियंता से वसुलनिय 6771/- प्राक्कलन में अनियमित राशि कनीय अभियंता से वसुलनिय 27243/- प्राक्कलन में अनियमित राशि कार्यपालक अभियंता से वसुलनिय 9960/- अभिकर्त्ता से वसुलीय राशि अधिक भुगतान-27417/- अभिकर्त्ता निगरानी कांड में अभियुक्त है। सेवा से मुक्त कर दिया गया मुकदामा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है तत्पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

(vi) योजना संख्या-12/2006-17 रहमतगंज में नाली गली निर्माण अभिकर्त्ता श्री श्यामनन्दन सिंह, प्रधान सहायक को कुल भुगतान
<table>
<tr><td>दिनांक</td><td>भुगतान अग्रिम चेक संख्या</td><td>राशि</td><td>प्राक्कलन</td></tr>
<tr><td>23.03.2007</td><td>074774</td><td>7500</td><td>182600</td></tr>
<tr><td>18.04.2007</td><td>074701</td><td>50000</td><td></td></tr>
<tr><td>22.08.2007</td><td>129305</td><td>50000</td><td></td></tr>
<tr><td>07.11.2017</td><td>9038803</td><td>65720</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>288763</td><td>50000</td><td></td></tr>
</table>
अभिकर्त्ता से वसुलनीय अधिक भुगतान-50000.00
Roylity -7305.25
Sell tax - 13484.75
कुल वसुलनीय मो0 70790.00
अंकेक्षण दल द्वारा चेक संख्या-2887.63 को राशि गलत से अंकित हो गया है। शुद्ध किये जाये। शेष राशि 70790/- रूपये वसुली हेतु कार्रवाई की जा रही है।</td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td>32</td><td>सम्पति पंजी का संधारित नहीं</td><td>सम्पति पंजी का संधारण किया गया है छायाप्रति क्रमांक 68 से 72 पर देखा जा सकता है।</td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td>33</td><td>योजना का अग्रिम पंजी नहीं</td><td>अग्रिम योजना पंजी में भुगतान का पूर्ण विवरणी किया जा रहा है। छायाप्रति क्रमांक 73 से 94 पर देखा जा सकता है।</td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td>34</td><td>अंग्रिम पंजी संधारण नहीं</td><td>(i) अग्रिम पंजी संधारित किया जा रहा है। छायाप्रति क्रमांक 95 से 100 पर देखा जा सकता है।
(ii) पदाधिकारी का अग्रिम समायोजन का पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त किया जा रहा है। छायाप्रति क्रमांक 101 से 105 पर देखा जा सकता है।</td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td>35</td><td>कार्यपालक पदाधिकारी से वर्ता</td><td>आवश्यकता नहीं।</td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td>36</td><td>अंकेक्षण प्रतिवेदन</td><td>आवश्यकता नहीं।</td><td></td></tr>
<tr><td>37</td><td>37</td><td>सामान्य सुझाव</td><td>अनुपालनार्थ।</td><td></td></tr>
</table>

06/05/19
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मसौढ़ी (पटना)
06/05/19